न्यायालय अवर न्यायाधीश, प्रथम्

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–46 सन् 2023

मोहम्मद शैकत वल्द स्व0 मोहम्मद सफी..........................वादी।

बनाम

मोहम्मद खुर्शीद वगैरह............................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 11.03.2024

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश नियम 01 नियम 10 वो धारा–151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 16.08.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद तकरारी एराजी जमीमा नं0 02 पर हकियत घोषित करने वो अन्य परितोष हेतु दाखिल किया है। वादी को अफवाहन जानकारी प्राप्त हुई है कि मुकदमे से संबंधित भूमि नुरन निशा प्रतिवादी सं0 08 ने मौजा– मगरपाल मुर्तुजा, थाना वो अंचल–दरियापुर, जिला–सारण स्थित खाता सं0 298, खेसरा सं0 1556 रकबा 3 कठा भूमि वो खाता नं0 218, खेसरा नं0 1553 का रकबा 3 कठा भूमि वो अन्य भूमि के साथ दिनांक 04.03.2023 को रतन कुमार सिंह पिता– स्व0 परमात्मानन्द सिंह, साकिन मौजा–403 सी0 2 गोदावरी अपाटमेंट खाजपुरा, आशियाना रोड वि0 भी0 कॉलेज पटना, पिन– 800014, जिला– पटना 'बिहार' से बेच दिया है। न्यायहित में केता का नाम प्रतिवादी के खाने में दर्ज होना जरूरी है। अतः निवेदन है कि केता का नाम प्रतिवादी के खाने में दर्ज करने की कृपा प्रदान की जाए।

उपरोक्त वाद में प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए हैं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी तकरारी एराजी के केता को इस वाद में प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दाखिल किया है। ऐसी परिस्थिति में उक्त खाता खेसरा से संबंधित केता को इस वाद में प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनाना वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल दाखिल आवेदन दिनांक 16.08.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक..................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।